2024/269

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री योगेश रावल पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी जय महादेव गली कालन्द्री
तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 — मुकदमा नं. 56 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.10.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 06.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही जिला कलक्टर के आदेश संख्या पं.12/3/1/राज/97 /193–99 दिनांक 18.01.1997 द्वारा मौजा कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही के खसरा संख्या 1627/7 में एक बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित घोषित करते हुए जिला कलक्टर/उद्योग/सिरोही के नियमन आदेश संख्या एप./इन्पत्र/1686–92 दिनांक 07.06.1997 द्वारा मार्बल टाईल्स व आर्टिकल उद्योग हेतु उक्त भूमि राजस्थान औद्योगिक भू–आवंटन नियम, 1959 के अन्तर्गत आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित भूमि संबंधी समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 06.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही जिला कलक्टर के आदेश संख्या पं.12/3/1/राज/97 /193–99 दिनांक 18.01.1997 द्वारा मौजा कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही के खसरा संख्या 1627/7 में एक बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित घोषित करते हुए जिला कलक्टर/उद्योग/सिरोही के नियमन आदेश संख्या एप./इन्पत्र/1686–92 दिनांक 07.06.1997 द्वारा मार्बल टाईल्स व आर्टिकल उद्योग हेतु उक्त भूमि राजस्थान औद्योगिक भू–आवंटन नियम, 1959 के अन्तर्गत आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित भूमि संबंधी समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 07.10.2024 को अपीलांट को उपलब्ध करवा दी गई है जिसे अपीलांट स्वयं द्वारा रेस्पोडेन्ट कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर ली गई है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी/रेस्पोडेन्ट के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner